

कार्यालय रजिस्ट्रार संस्थाएं, भीलवाड़ा

दिनांक 11/12/16

12111-

4
- प्रो. यशवन्त शर्मा
- श्री. मोहन शर्मा
- श्री. मोहन शर्मा

रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1958 के अंतर्गत संस्था रजिस्ट्रीकरण के बारे में।

रजिस्ट्रकरण प्रमाण-पत्र क्रमांक 104 / भीलवाड़ा / 2.11.16
हूँ..... संलग्न है, जिसकी प्राप्ति की सूचना भिजवाने का कष्ट करें।

उक्त अधिनियम की धारा 4 व 4 (क) की ओर भी आकर्षित किया जाता है जिसके प्रावधानों के अनुसार आपको इस में निम्नलिखित सूचना भेजना जरूरी है :-

प्रबंध, जिसको सौंपा गया है, उस पर परिषद् समिति या अन्य जाति निकाय के शासकों, संचालकों, न्यायियों या और जैसे की सूचना मय पद के।

उमें उपरोक्त सदस्यों के नाम आदि उस वर्ष, की सूची के दौरान हुए समस्त परिवर्तनों को दिखाया गया हो।

विनियमों को एकता तारीख सही प्रतिलिपि जो शासक निकाय के शासकों, संचालकों, न्यासों या सदस्यों में से कम से कम प्रमाणित की गई है।

के नियमों और विनियमों से किये गये प्रत्येक परिवर्तन की प्रतिलिपि जो उपरोक्त रीति से सही प्रमाणित हुई हो, ऐसा पन्द्रह दिन के अंदर अंदर इस कार्यालय को पहुंच जानी चाहिए।

धेनियम की धारा 4(ख) की ओर आकर्षित किया जाता है जिसके अनुसार उपरोक्त प्रावधानों का पालन करने में झूठ होने पर अर्थ दण्ड से दण्डनीय होगा जो पांच सौ रुपये तक का हो सकता है तथा लगातार भंग होने की दिशा नीय होगा जो प्रत्येक दिन के लिए जिसमें कि ऐसे अपराध के लिए प्रथम अपराध सिद्ध के पश्चात् चूक जारी रहती गा। यदि कोई व्यक्ति धारा 4 के अधीन प्रस्तुत की गई सूची में या धारा 4 (ख) के अधीन रजिस्ट्रार को भेजे गये नियमों को या उनमें किये गये परिवर्तनों की प्रतिलिपि में जानबूझ कर कोई मिथ्या प्रविष्ट या सोप करता या करवाता र वह ऐसे अर्थदण्ड से दण्डनीय होगा जो दो हजार रुपये तक हो सकता है।

1 में किसी भी प्रकार का पत्र व्यवहार करते समय संस्था का रजिस्ट्रेशन संख्या एवं वर्ष अंकित करें।

(ली)

रजिस्ट्रार संस्थाएं

स्वामी विवेकानंद राजकीय
बनेडा (भीलवाड़ा) राज
स्कूल



रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र

क्रमांक

२५३/भीलवाड़ा/२०१७-१८

यह प्रमाणित किया जाता है कि विद्यालय सुबंधन समिति स्वामी विवेकानंद शी.मा.स्कूल बंध


भीलवाड़ा

जिला-भीलवाड़ा का राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम १९५८ (राजस्थान अधिनियम

संस्था २८, १९५८) के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकरण आज किया गया है।

यह प्रमाण-पत्र मेरे हस्ताक्षरों और कार्यालय की सील से आज दिनांक ६ माह नवंबर

सन् दो हजार सत्रह को भीलवाड़ा में दिया गया।


रजिस्ट्रार

संस्थाएँ, भीलवाड़ा